न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 66/2020 **दायर तारीख : 24-06-2020**

1. कालूराम पुत्र भैरूराम जाति अहीर खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी /वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र रेवडराम जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. छाजी देवी पत्नि घीसाराम जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. छीतरमल पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी ढाणी दांतली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।।
4. नाथूराम पुत्र कालूराम जाति गुर्जर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. नाथी देवी पत्नि बद्रीप्रसाद जाति अहीर निवासी ढाणी डाबला तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. नानूडी पत्नि रामसहाय जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. पूरणमल जाखड पुत्र रघूनाथ जाति बलाई निवासी डी–38, जगदम्बा नगर, हीरापुरा पावर हाउस की पीछे अजमेर रोड, जयपुर राज0।
8. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. प्रहलाद पुत्र सुण्डाराम जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
10. फूलाराम पुत्र भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ढाणी दातली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
11. फूली देवी पत्नि हेमराज जाति गुर्जर निवासी तालवा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
12. बनवारी पुत्र भागीरथ जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. बालकिशन पुत्र बलदेवराज जाति अरोडा निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
14. मंगलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
15. राज उर्फ राजेश कुमार पुत्र रामसहाय जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
16. रामदयाल पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी ढाणी दातली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

17. रामसहाय पुत्र रेवडराम जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
18. लालचंद पुत्र पूरणमल जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
19. सीताराम पुत्र हजारीलाल जाति नाई निवासी ढाणी दांतली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
20. हनुमान पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ढाणी श्यामदासवाली तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
22. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, 13
श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक :–05.01.2021

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर के बंटवारे हेतू वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा पेश किया है, जिसमें उक्त आराजी को वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की भूमि अंकित किया है, जो कि गलत अंकित किया है। यह है कि वादी ने प्रस्तुत वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 24.06.2020 को पेश किया था, परन्तु उक्त आराजी का तहसील आदेश/भू.अ./2020/3811 दिनांक 08.06.2020 के अनुसार दिनांक 10.06.2020 को सह खातेदारों की आपसी सहमति से बजानकारी वादी के बंटवारा हो चुका था। उक्त बंटवारे की जानकारी वादी को शुरू से ही रही है। इस प्रकार वाद दायरी के समय उक्त आराजी सहखातेदारी नहीं रही है। व उक्त खसरा नबर दावा दायरी व उसके पश्चात आज तक अस्तित्व में ही नहीं रहे है, तो आज वादी किस खसरा नंबर का बंटवारा करवाना चाहेगा।। इस प्रकार झूंठे

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दस्तावेजात के आधार पर प्रस्तुत वाद पेश किया है। वादी को किसी प्रकार का cause of action (वाद कारण) उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। यह है कि दावा दायरी से पूर्व सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 10.06.2020 को शामलाती भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 11 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5982/5971, प्रतिवादी संख्या 4, 14 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5981/5971 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 15 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5958/5971 वाकै ग्राम मैड कायम हो चुके थे। इसी तरह अन्य प्रतिवादीगण के भी नवीन खसरा नंबर कायम होकर पृथक खातेदारी भूमि के नंबर बन चुके थे। ऐसी स्थिति में दावा दायरी के समय वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 5971/2438 अस्तित्व में नहीं रहे है। इसलिए प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि प्रस्तुत वाद झूंठे व पुराने दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय श्रीमान को गुमराह कर प्रतिवादीगण को हैरान–परेशान करने के उद्देश्य से किया गया जो विधि द्वारा वर्जित है, इसलिए प्रस्तुत वाद खारिज किय जाने योग्य है। अतएव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें एव प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायें जाने की कृपा करें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी वाकै ग्राम मैड खाता संख्या 1353 संवत् 2074–2077, नकल जमाबंदी वाकै ग्राम मैड खाता संख्या 1354 संवत् 2074–2077, नकल जमाबंदी वाकै ग्राम मैड खाता संख्या 1355 संवत् 2074–2077, नकल नामान्तकरण जमाबंदी दिनांक 10.06.2020 आदि पेश किए है।

4. अप्रार्थीगण /वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन रहे कि आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर के बंटवारे हेतू वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत वाद पेश किया जाना एवं उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी भूमि होना स्वीकार है। यह है कि उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 24.06.2020 को पेश किया जाना स्वीकार है। तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा बंटवारा होना वादी की जानकारी में नहीं है यदि प्रतिवादीगण ने वादी की बिना जानकारी व सहमति के वाद ग्रस्त आराजी का तहसीलदार विराटनगर से कोई बंटवारा करवाया है तो वह विधि सम्मत नहीं है तथा उससे वादी के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। वादी द्वारा दावा दायरी के समय अस्तित्व में रहे खसरा नंबर का ही उल्लेख कर प्रस्तुत वाद पेश किया है वादी द्वारा कोई झूंठे दस्तावेजात के आधार पर उक्त वाद पेश नहीं किया है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र में वर्णित प्रकार से वाद कारण पैदा होने पर उक्त वाद पत्र पेश किया है जो विधि सम्मत होने से कानून में चलने योग्य है। किसी प्रकार से खारिज किये जाने योग्य नहीं है। यह है कि वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5971/2438 के बंटवारे के लिए दिनांक 10.06.2020 को अथवा कभी भी कोई सहमति नहीं दी है वादी अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का साधारण काश्तकार पेशा व्यकित है। दिनांक 10.06.2020 को वादग्रस्त आराजी का कोई बंटवारा नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 11, 14, 15 के हिस्से में तथाकथित नवीन खसरा नंबर की भूमि व अन्य के हिस्से में दूसरे नवीन खसरा नंबर आना गलत व मनगढन्त है। वाद दायरी के समय वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 5971/2438 अस्तित्व में रहा है और वादी ने उक्त वाद ग्रस्त आराजी के बंटवारे के लिए ही उक्त वाद पेश किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण चलने योग्य है खारिज किये जाने योग्य नहीं है। यह है कि वादी ने सही एवं अस्तित्व में रहे दस्तावेजात के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने के लिए उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया है जो किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। इस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य नहीं है। यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 द्वारा उक्त वाद पत्र में जवाब दावा पेश नहीं किया गया है इस कारण प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह है कि प्रतिवादीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के संबंध में केवल माननीय न्यायालय को ही अधिकारिता प्राप्त है। इस कारण प्रतिवादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

5. अधिवक्ता वादी/अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति विक्रय पत्र, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मैड, नकल जमाबंदी वाके ग्राम मैड खाता संख्या 1271 संवत् 2074–2077 आदि पेश किए है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस रही कि वादी ने आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर के बंटवारे हेतू वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 24.06.2020 को पेश किया था, परन्तु उक्त आराजी का तहसील आदेश/भू.अ./2020/3811 दिनांक 08.06.2020 के अनुसार दिनांक 10.06.2020 को सह खातेदारों की आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका था। तथा बंटवारे की जानकारी वादी को शुरू से ही रही है। इस प्रकार अब प्रस्तुत वाद में वाद ग्रस्त खसरा नंबर अस्तित्व में ही नहीं है तो वादी को किस प्रकार का cause of action (वाद कारण) उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर के आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी भूमि है। तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा बंटवारा होना वादी की जानकारी में नहीं है यदि प्रतिवादीगण ने वादी की बिना जानकारी व

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सहमति के वाद ग्रस्त आराजी का तहसीलदार विराटनगर से कोई बंटवारा करवाया है तो वह विधि सम्मत नहीं है तथा उससे वादी के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। यह है कि वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5971/2438 के बंटवारे के लिए दिनांक 10.06.2020 को अथवा कभी भी कोई सहमति नहीं दी है। वाद दायरी के समय वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 5971/2438 अस्तित्व में रहा है और वादी ने उक्त वाद ग्रस्त आराजी के बंटवारे के लिए ही उक्त वाद पेश किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण चलने योग्य है।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया वस्तुतः प्रस्तुत प्रकरण में वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर तहसीलदार विराटनगर के आदेश /भू.अ./2020/3811 दिनांक 08.06.2020 के अनुसार दिनांक 10.06.2020 को सह खातेदारों के मध्य बंटवारा हो चुका है तथा नामान्तकरण हो चुके है। तथा वादी द्वारा उक्त आराजी के संबंध में वाद पत्र न्यायालय में दिनांक 24.06.2020 को पेश किया गया है। वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा पूर्व में ही हो चुका होने के कारण अब वादी/अप्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि नहीं रही है। तथा प्रस्तुत दावा में जिन खसरा नंबर का बंटवारा चाहा गया था वो खसरा नंबर अब अस्तित्व में ही नहीं रहे है। जब वाद पत्र में वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा पूर्व में हो चुका है एवं सह खातेदारी नहीं रही है तो वादी के लिए cause of action (वाद कारण) का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वाद ग्रस्त आराजी के बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 2, 11 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5982/5971, प्रतिवादी संख्या 4, 14 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5981/5971 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 15 के हिस्से में नवीन खसरा नंबर 5980/5971 वाकै ग्राम मैड कायम हो चुके है। इसी तरह अन्य प्रतिवादीगण के भी नवीन खसरा नंबर कायम होकर पृथक खातेदारी भूमि के नंबर बन चुके है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. कालूराम पुत्र भैरूराम जाति अहीर खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र रेवडराम जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. छाजी देवी पत्नि घीसाराम जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. छीतरमल पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी ढाणी दांतली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।।
4. नाथूराम पुत्र कालूराम जाति गुर्जर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. नाथी देवी पत्नि बद्रीप्रसाद जाति अहीर निवासी ढाणी डाबला तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. नानूडी पत्नि रामसहाय जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. पूरणमल जाखड पुत्र रघूनाथ जाति बलाई निवासी डी–38, जगदम्बा नगर, हीरापुरा पावर हाउस की पीछे अजमेर रोड, जयपुर राज0।
8. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. प्रहलाद पुत्र सुण्डाराम जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
10. फूलाराम पुत्र भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ढाणी दातली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
11. फूली देवी पत्नि हेमराज जाति गुर्जर निवासी तालवा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
12. बनवारी पुत्र भागीरथ जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. बालकिशन पुत्र बलदेवराज जाति अरोडा निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
14. मंगलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
15. राज उर्फ राजेश कुमार पुत्र रामसहाय जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
16. रामदयाल पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी ढाणी दातली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

17. रामसहाय पुत्र रेवडराम जाति माली निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
18. लालचंद पुत्र पूरणमल जाति कीर निवासी खेडा तन नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
19. सीताराम पुत्र हजारीलाल जाति नाई निवासी ढाणी दांतली तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
20. हनुमान पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ढाणी श्यामदासवाली तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
22. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 66/2020 **दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट, एडवोकेट वादी** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर एवं श्री आनंद सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। **सुना गया।** हस्तगत वाद के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया है। वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5971/2438 रकबा 0.4583 हैक्टेयर तहसीलदार विराटनगर के आदेश /भू.अ./2020/3811 दिनांक 08.06.2020 के अनुसार दिनांक 10.06.2020 को सह खातेदारों के मध्य बंटवारा हो चुका है तथा नामान्तकरण हो चुके है। तथा वादी द्वारा उक्त आराजी के संबंध में वाद पत्र न्यायालय में दिनांक 24.06.2020 को पेश किया गया है। वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा पूर्व में ही हो चुका होने के कारण अब वादी/अप्रार्थी एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि नहीं रही है। तथा प्रस्तुत दावा में जिन खसरा नंबर का बंटवारा चाहा गया था वो खसरा नंबर अब अस्तित्व में ही नहीं रहे है। जब वाद पत्र में वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा पूर्व में हो चुका है एवं सह खातेदारी नहीं रही है तो वादी के लिए cause of action (वाद कारण) का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 05.01.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर